## Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आइटम नम्बर 2, डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी । ? (व्यवधान)

## THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Madam, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 423(E) in Gazette of India dated 27th June, 2025 under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

[Placed in Library, See No. LT 2770/18/25]

(2) A copy of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 315(E) in Gazette of India dated 16th May, 2025 under subsection (3) of Section 56 of the Telecommunications Act, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 2771/18/25]

(3) A copy of the Telecommunications (Removal of Difficulties) Amendment Order, 2025 (Hindi and English version) published in Notification No. S.O. 2962(E) in Gazette of India dated 2nd July, 2025 under sub-section (2) of Section 58 of the Telecommunications Act, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 2772/18/25]

? (व्यवधान)

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे): सभापति महोदया, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 20 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 323(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [Placed in Library, See No. LT 2773/18/25]

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1)

भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक)

(दो)

[Placed in Library, See No. L<sup>2</sup> 2774/18/25]

(2)

LT ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस-एनपीएफ), जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.746(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2775/18/25]

(3)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025, जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 2776/18/25]

? (व्यवधान)

\_\_\_\_